भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6028

बुधवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>बिहार में सौर ऊर्जा उत्पादन</u>

6028. श्री सुधाकर सिंहः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा बिहार में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को बिहार में, विशेषकर कैमूर जिले के अधौरा में नए सौर पार्क स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिहार में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कब तक होने की संभावना है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) सरकार द्वारा बिहार सहित देश में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय और पहलें **अनुलग्नक** में दी गई हैं।

(ख), (ग) एवं (घ): सरकार की "सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं" के लिए योजना के अंतर्गत, बिहार राज्य में वर्तमान में कोई सौर पार्क स्वीकृत नहीं है। साथ ही, बिहार सरकार से योजना के अंतर्गत सौर पार्कों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुलग्नक

दिनांक 01.04.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 6028 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

भारत सरकार द्वारा बिहार सहित देश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय और पहलें

- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमान) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नवीन सौर विद्युत योजना (जनजातीय तथा पीवीटीजी बस्तियों/गावों के लिएजैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषणयोग्य नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों (अर्थात, सौर पीवी मॉड्यूलों, सौर पीवी इनवर्टरों और भंडारण बैटरी) तथा सौर जल तापन प्रणालियों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं।
- ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा जारी की गई।

- भारत के लिए संसाधन पर्याप्तता नियोजन फ्रेमवर्क के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र नवीकरणीय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
